सं0 27/10/2013-एस0आर0एस0
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली ।
दिनांक 17 दिसम्बर, 2013

17 DEC 2013

सेवा में,

मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश ।

मुख्य सचिव
उत्तराखंड शासन
सचिवालय, देहरादून
उत्तराखंड ।

विषयः- दिनांक 18.09.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की संस्तुति की अनुपालन में श्रीमती सुनीता सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी का उत्तराखंड राज्य पुनरावंटन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रीमती सुनीता सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी से उत्तराखंड राज्य पुनरावंटन हेतु प्राप्त प्रत्यावेदन पर परामर्शी समिति की दिनांक 18.09.2013 को आयोजित बैठक में विचार किया गया । समिति को प्रशासकीय विभाग द्वारा अवगत करवाया गया कि श्रीमती सिंह द्वारा दिनांक 16 नवम्बर, 2000 को उत्तराखण्ड राज्य के लिये विकल्प दिया गया था । महिला कार्मिक विकल्पानुसार राज्य आवंटन के पात्र होने के नाते समिति द्वारा उनका राज्य पुनरावंटन उनके विकल्प के आधार पर उत्तराखंड किये जाने कि संस्तुति की गई ।

2. भारत सरकार परामर्शी समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्रीमती सुनीता सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी का राज्य पुनरावंटन उत्तराखंड राज्य के लिये किया जाता है ।

3. कार्मिक को इस निर्णय के बारे में सूचित किया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखण्डी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
2. श्रीमती हेमलता ढौंडीयाल, सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन विभाग, सचिवालय, देहरादून ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन
Deptt. of Personnel & Trg., L. N. Bhawan
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issued Section
17 DEC 2013
जारी किया/ISSUED